

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8768/2026

CNR: RJHC010624712026

URN: CRLMB / 19065U / 2026

Anil Kumar S/o Mangilal Aged About 22 Years, Resident Of
Sediya Narayanpura, Karda Police Station, District Jalore.
(Lodged In District Jail, Jalore)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. KL Vishnoi

For Respondent(s) : Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

20/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **भीनमाल, जिला जालौर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **465/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **333, 309(6) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पिछले करीब एक माह से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में केवल मात्र एक फौजदारी प्रकरण दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आरोप है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आरोप हेतु करीब एक माह से

न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल कुमार पुत्र मांगीलाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J